मंथली पॉलिसी रिव्यू

सितंबर 2024

इस अंक की झलकियां

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्राउज करना या स्टोर करना अपराध है

अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना और उसे डिलीट या रिपोर्ट न करना अपराध है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी फैक्ट चेक यूनिट से संबंधित आईटी नियमों को रद्द किया

संशोधन में केंद्र के खिलाफ गलत जानकारी को चिन्हित करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय ने संशोधन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया।

कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-IV को मंजूरी दी

ग्रामीण सड़क योजना पांच वर्ष के लिए होगी और 500 व्यक्तियों की आबादी वाली सभी बस्तियों को जोड़ेगी।

कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है: (i) स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार, (ii) विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देना, (iii) जनजातीय विकास, और (iv) जलवायु अनुसंधान सेवाओं को बढ़ाना।

वित्त मंत्रालय ने नाबालिगों के लिए पेंशन योजना शुरू की

1,000 रुपए के योगदान के बाद 18 वर्ष तक की आयु के सभी नाबालिग राष्ट्रीय पेंशन योजना वात्सल्य खाता खोल सकते हैं। इसके बाद खाते में 1,000 रुपए का सालाना योगदान जमा किया जा सकता है।

कैबिनेट ने कुछ योजनाओं की अवधि बढ़ाई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के लिए योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी: (i) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को रोकना, और (ii) बायोटेक्नोलॉजी में आरएंडडी को बढ़ावा देना।

PRS Legislative Research ▪Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 23234801, 43434035 ▪ www.prsindia.org

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2024-25 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.1%

भारत ने 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 9.8 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जो 2023-24 की इसी तिमाही के 9.0 बिलियन USD (जीडीपी का 1%) से थोड़ा अधिक है।[1] 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत ने 4.6 बिलियन USD (जीडीपी का 0.5%) का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया।

पूंजी खाते में 14.4 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया, और परिणामस्वरूप तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 5.2 बिलियन USD की वृद्धि हुई।

तालिका 1: भुगतान संतुलन, ति1 2024-25 (बिलियन USD)

	ति1 2023-24	ति4 2023-24	ति1 2024-25
क. निर्यात	104.9	121.6	111.2
ख. आयात	161.6	173.6	176.3
ग. व्यापार संतुलन (क-ख)	-56.7	-52.0	-65.1
घ. शुद्ध सेवाएं	35.1	42.7	39.7
ङ. अन्य हस्तांतरण	12.6	13.9	15.6
च. चालू खाता (ग+घ+ङ)	-9.0	4.6	-9.8
छ. पूंजीगत खाता	33.8	25.6	14.4
ज. भूल-चूक लेनी-देनी	-0.4	0.6	0.6
झ. मुद्रा भंडार में परिवर्तन (च+छ+ज)	24.4	30.8	5.2

स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।

कानून एवं न्याय

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्राउज करना या स्टोर करना अपराध

पॉक्सो एक्ट, 2012 इन शर्तों के तहत पोर्नोग्राफी के स्टोरेज या कब्जे को अपराध मानता है: (i) शेयर करने या प्रसारित करने के इरादे से, (ii) प्रदर्शित करने के लिए (जब तक कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य न हो), और (iii) व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।[2]

जनवरी 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना था कि केवल कब्ज़ा करना अपराध नहीं है, क्योंकि तब उसे शेयर करने का कोई इरादा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को खारिज कर दिया। उसने कहा कि कब्जा, उस सामग्री को शेयर करने से पहले का कदम होता है। इसे डिलीट न करना या रिपोर्ट न करना, उस इरादे का संकेत होता है।[3]

न्यायालय ने संसद और केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पॉक्सो एक्ट में 'चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदला जाए, (ii) स्वास्थ्य और सेक्स एजुकेशन के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए, (iii) पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने वाले आईटी नियमों को रद्द किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरीज़ के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है।[4,5] नियमों में डिजिटल इंटरमीडियरीज़ (जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स) से यह अपेक्षित है कि वे यूजर्स को जानबूझकर झूठ या भ्रामक जानकारी फैलाने से रोकने के लिए ड्यू डेलिजेंस (उचित कार्रवाई) करेंगे। संशोधन में इस प्रावधान में केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय से संबंधित जानकारी को भी शामिल किया गया है जिसे सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट गलत या भ्रामक के रूप में चिन्हित करती है।[6]

न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस अधिकार पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध उचित होना चाहिए और संविधान के तहत दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि एफसीयू की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाएगी, इसलिए केंद्र उस मामले में अंतिम मध्यस्थ बन जाएगा जो गलत या भ्रामक है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि ऐसी वस्तुओं की पहचान करने के लिए किसी दिशानिर्देश के अभाव में 'झूठा या

भ्रामक' शब्द अस्पष्ट और व्यापक हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधन इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से बाहर था और इसलिए इस एक्ट के तहत नियमों का हिस्सा नहीं हो सकता।[7]

23वें विधि आयोग का गठन

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया।[8] 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक रहेगा। हालांकि अभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है।

स्वास्थ्य

Shirin Pajnoo (shirin@prsindia.org)

कैबिनेट ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत का विस्तार किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।[9] यह योजना एम्पैनल्ड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।[10] वर्तमान में 11 करोड़ परिवार (लगभग 50 करोड़ व्यक्ति) इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।[11] इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा के रूप में अतिरिक्त पांच लाख रुपए मिलेंगे।

योजना के विस्तार से अतिरिक्त 4.5 करोड़ परिवारों (छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों) को बीमा कवरेज मिलेगा। इसमें वे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होंगे जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक और निजी बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्म्स पर तंबाकू रेगुलेशन में संशोधन करने वाले ड्राफ्ट नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, 2004 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया।[12]

वर्तमान में ओटीटी प्लेटफार्म्स पर सभी कंटेंट में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) शुरुआत और बीच में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य संदेश प्रदर्शित करना (प्रत्येक में कम से कम 30 सेकंड), (ii) तंबाकू उत्पाद दिखाए जाने पर स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना, और (iii) शुरुआत में तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में 20 सेकंड का ऑडियो-विज़ुअल डिस्क्लेमर पेश करना।[13] ड्राफ्ट संशोधन इस प्रावधान को ओटीटी प्लेटफार्म्स पर पब्लिश फिल्मों तक सीमित करता है। यह केवल 1 सितंबर 2023 या उसके बाद रिलीज होने वाली फिल्मों पर लागू होगा।

इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट संशोधन के तहत सभी ओटीटी प्लेटफार्म्स को निम्नलिखित प्रदर्शित करना होगा: (i) सभी कंटेंट पर नॉन-स्किपेबल तंबाकू विरोधी संदेश (न्यूनतम 30 सेकंड), और (ii) 1 सितंबर, 2023 या उसके बाद पब्लिश कंटेंट में किसी भी तंबाकू के उपयोग के दौरान एक स्थिर स्वास्थ्य चेतावनी। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने पर कम से कम 20 सेकंड का नॉन-स्किपेबल डिस्क्लेमर भी जरूरी होता है।

13 अक्टूबर, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

मेडिकल उपकरणों की मार्केटिंग पद्धतियों के लिए समान संहिता जारी

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मेडिकल उपकरणों की मार्केटिंग पद्धतियों के लिए समान संहिता, 2024 जारी की है।[14] यह संहिता देश में मेडिकल उपकरणों की ब्रांडिंग और प्रचार को रेगुलेट करती है। संहिता की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **दावे**: किसी मेडिकल उपकरण की उपयोगिता के संबंध में कंपनियों द्वारा किए गए दावे नवीनतम साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। निषिद्ध दावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संबंधित कंपनियों की पूर्व सहमति के बिना अन्य ब्रांड नामों का उपयोग करना, (ii) योग्यता के बिना किसी मेडिकल उपकरण को सुरक्षित बताना, और (iii) इसके दुष्प्रभाव रहित होने का दावा करना।
- **प्रचार**: किसी भी प्रचार सामग्री में निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए: (i) मेडिकल उपकरण का सामान्य/ब्रांड नाम, (ii) निर्माता/आयातक का

नाम/पता और मार्केटियर का व्यावसायिक नाम/पता, (iii) उपयोग के लिए चेतावनियां और सावधानियां, और (iv) एक बयान जिसमें कहा गया हो कि अनुरोध पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है। कोई भी प्रचार सामग्री किसी भी हेल्थकेयर प्रोफेशनल के आइडेंटिफायर्स का उपयोग नहीं कर सकती है।

- केवल 1,000 रुपए से कम मूल्य के ब्रांड रिमाइंडर्स (जैसे किताबें, डायरी, डमी मॉडल) प्रसारित किए जा सकते हैं। नि:शुल्क मूल्यांकन नमूने को सिर्फ उस व्यक्ति दिया जाएगा जो इसे निर्धारित करने के लिए पात्र है या उसकी ओर से उसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। प्रदर्शन उत्पाद (ऐसे उत्पाद जो मेडिकल उपकरण के कार्यों को समझाने में मदद करते हैं) को प्रदर्शन अवधि समाप्त होने के बाद कंपनियों द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिए।
- **आचार समिति**: सभी भारतीय मेडिकल उपकरण संघों में मेडिकल उपकरणों की मार्केटिंग पद्धतियों के लिए एक आचार समिति स्थापित की जानी चाहिए। यह संहिता के अनुपालन से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी। समिति को शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर एक आदेश पारित करना होगा। संहिता का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित दंड दिया जाएगा: (i) संगठन से निष्कासन, (ii) मीडिया में सुधारात्मक बयान जारी करना, या (iii) मौद्रिक वसूली। समिति के फैसले के खिलाफ 15 दिनों के भीतर शीर्ष समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। शीर्ष समिति की अध्यक्षता फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव करेंगे।

वित्त

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

नाबालिगों के लिए पेंशन योजना

वित्त मंत्रालय ने नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वात्सल्य योजना की घोषणा की है।[15] इसे भारतीय पेंशन निधि रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा रेगुलेट और प्रशासित किया जाएगा। 18 वर्ष तक की आयु के सभी नाबालिग नागरिक खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान देना होगा। इसके बाद खाते में न्यूनतम 1,000 रुपए का वार्षिक योगदान जमा किया जा सकता है। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा और वयस्क होने तक उनके अभिभावक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर एनपीएस वात्सल्य खाता एनपीएस के तहत एक नियमित खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

सेबी ने बोर्ड बैठक में विभिन्न फैसलों को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी बैठक में विभिन्न फैसलों को मंजूरी दी है।[16] प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सेम-डे सेटलमेंट**: सेबी ने प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक सेम-डे सेटेलमेंट साइकिल का दायरा बढ़ा दिया है। चरणबद्ध तरीके से बाजार पूंजीकरण के आधार पर सेम-डे सेटेलमेंट के लिए प्रतिभूतियों को 25 से बढ़ाकर शीर्ष 500 कंपनियों तक किया जाएगा। सेम-डे सेटेलमेंट मौजूदा नेक्स्ट-डे (टी+1) सेटलमेंट साइकिल के साथ चलेगा।
- **नए म्यूचुअल फंड उत्पाद को मंजूरी**: सेबी ने मौजूदा म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क के तहत एक नए निवेश उत्पाद की शुरूआत को मंजूरी दी है। यह पोर्टफोलियो निर्माण में अधिक लचीलेपन की पेशकश करके म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच अंतर को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें एकल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों में प्रति निवेशक न्यूनतम निवेश सीमा 10 लाख रुपए होगी।
- **निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क**: सेबी ने निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी। निष्क्रिय फंड नियम-आधारित निवेश रणनीति का पालन करते हैं और परिसंपत्ति आवंटन (जैसे इंडेक्स फंड) के संबंध में नगण्य विवेक प्रदान करते हैं। यह फ्रेमवर्क म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों के लिए निवल मूल्य, ट्रैक रिकॉर्ड, लाभप्रदता और प्रकटीकरण के संदर्भ में आसान मानदंड प्रदान करता है।

- **सस्टेनेबल फाइनांस के लिए फंड**: सेबी ने उन उपकरणों के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया जिनका उपयोग कॉरपोरेट्स द्वारा सस्टेनेबल फाइनांस के लिए धन जुटाने हेतु किया जा सकता है। यह निम्नलिखित जारी करने के लिए रूपरेखा निर्दिष्ट करेगा: (i) सोशल बांड, (ii) सस्टेनेबिलिटी बांड, और (iii) सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बांड।

ऑटोमोबाइल

Anirudh TR (anirudh@prsindia.org)

कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट' योजना (पीएम ई-ड्राइव) को मंजूरी दे दी।[17] योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सबसिडी प्रदान की जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ई-वाउचर्स**: उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा। इन वाउचर का उपयोग डीलरशिप से वाहन के खरीद मूल्य पर सबसिडी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। निर्माता इन वाउचर का उपयोग सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कर सकते हैं।
- **इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ट्रक और बसों के लिए आवंटन**: इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों के उपयोग के लिए योजना के तहत प्रत्येक को 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर मौजूदा बसों को स्क्रैप करने के बाद इलेक्ट्रिक बसें खरीदते हैं।
- **सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉलेशन**: अधिक ईवी उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। योजना का लक्ष्य निम्नलिखित की स्थापना करना है: (i) चारपहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, (ii) बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और (iii) दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर। योजना के तहत प्रस्तावित परिव्यय 2,000 करोड़ रुपए है।
- **टेस्टिंग एजेंसियों का अपग्रेडेशन**: भारी उद्योग मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रिक वाहन टेस्ट एजेंसियों को योजना के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। प्रस्तावित परिव्यय 780 करोड़ रुपए है। इन टेस्टिंग एजेंसियों के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और (ii) इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी)।[18]

आदिवासी मामले

Shirin Pajnoo (shirin@prsindia.org)

आदिवासी विकास योजना को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी।[19] कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियों को दूर करके आदिवासी समुदायों का उत्थान करना है: (i) सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, (ii) स्वास्थ्य, (iii) शिक्षा, और (iv) आजीविका। इसमें 25 पहल शामिल हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों को प्रशासित करने वाले मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा और इसका लक्ष्य लगभग पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम को 79,156 करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त होगा, जिसे पांच वर्षों में खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **कार्यक्रम के लक्ष्य**: अन्य विभागों और उनकी योजनाओं के समन्वय से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं: (i) सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण, (ii) कौशल विकास और स्व-रोजगार को बढ़ावा देना, और (iii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार करना।

- **लक्ष्य**: विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं: (i) प्रधानमंत्री आवास योजना, (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (iii) जल जीवन मिशन, (iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (v) पोषण अभियान। इनमें से कुछ लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 20 लाख घरों का निर्माण, (ii) 25,000 किमी सड़क, (iii) प्रत्येक पात्र गांव में पानी की आपूर्ति, (iv) 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाना, (v) 2,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना।
- **योजनाएं**: कार्यक्रम के तहत कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 1000 आदिवासी होम स्टे, (ii) 22 लाख वन अधिकार धारकों के लिए स्थायी आजीविका, (iii) आदिवासी और सरकारी आवासीय स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, (iv) सिकल सेल रोग का किफायती प्रबंधन, और (v) आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 100 बहुउद्देशीय विपणन केंद्र।

ग्रामीण विकास

Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 और 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।[20] इस चरण के तहत, 62,500 किलोमीटर लंबी बारामासी सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ेगी। इसमें निम्नलिखित से अधिक आबादी वाली बस्तियों को शामिल किया जाएगा: (i) मैदानी क्षेत्रों में 500, (ii) उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में 250, और (ii) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में 100। पीएमजीएसवाई-IV को पांच वर्षों के लिए कुल 70,125 करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त होगा, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच 70:30 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

कृषि

Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)

कैबिनेट ने रबी मौसम 2024 के लिए उर्वरकों पर पोषण आधारित सबसिडी दरों को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2024 (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सबसिडी दरों को मंजूरी दी है।[21] सबसिडी के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 24,476 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

कैबिनेट ने कीमतों में अस्थिरता रोकने के लिए योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है।[22] इन योजनाओं में निम्न शामिल हैं: (i) मूल्य समर्थन योजना, (ii) मूल्य स्थिरीकरण निधि, (iii) मूल्य घाटा भुगतान योजना, और (iv) बाजार हस्तक्षेप योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। सरकार ने 2025-26 तक इन योजनाओं के लिए कुल परिव्यय 35,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है।

अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत, केंद्र ने 2024-25 से राष्ट्रीय उत्पादन का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। केंद्र ने इन फसलों की खरीद के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए कर दी है। अधिसूचित तिलहनों के लिए मूल्य घाटा भुगतान योजना को लागू करने हेतु केंद्र ने राज्य के तिलहन उत्पादन के कवरेज को 25% से बढ़ाकर 40% किया है जिससे राज्यों को प्रोत्साहन मिले। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत, प्याज और टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए समर्थन को उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

पृथ्वी विज्ञान

Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)

कैबिनेट ने मौसम अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान और सेवाओं में सुधार के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी है।[23] दो वर्षों के लिए इस कार्यक्रम के तहत 2,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका उपयोग मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास हेतु किया जाएगा। इससे चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी।

यह कार्यक्रम मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान में प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इनमें निम्नलिखित का उपयोग शामिल होगा: (i) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, (ii) नेक्स्ट जनरेशन रडार और सैटेलाइट सिस्टम, और (iii) उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत तीन संस्थान मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये निम्नलिखित हैं: (i) भारत मौसम विज्ञान विभाग, (ii) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और (iii) राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र।

बायोटेक्नोलॉजी

Anirudh TR (anirudh@prsindia.org)

कैबिनेट ने बायोटेक में आरएंडडी को बढ़ावा देने के लिए बायो-राइड योजना जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो टेकनोलॉजी विभाग की दो अंब्रैला योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है, जिन्हें एक योजना का रूप दिया गया है। इस योजना का नाम है, 'बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास' (बायो-राइड)।[24] योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 9,197 करोड़ रुपए है।

इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से जैव-उद्यमिता और उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना है: (i) अनुदान और प्रोत्साहन, (ii) अकादमिक-उद्योग सहयोग, (iii) एक्स्ट्रा-म्यूरल फंडिंग और (iv) क्षमता निर्माण।

योजना के एक नए घटक में बायोमैन्यूफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस घटक के तहत निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए स्वदेशी समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा: (i) स्वास्थ्य देखभाल परिणाम, (ii) कृषि उत्पादकता, (iii) जैव अर्थव्यवस्था की स्थिति, और (iv) जैव-ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स और जैव-प्लास्टिक जैसे जैव-आधारित उत्पादों का व्यावसायीकरण।

---

[1] Developments in India's Balance of Payments during the First Quarter (April-June) of 2024-25, Reserve Bank of India, September 30, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR118562050476 26764844945BB7D76A8D8C45.PDF.

[2] The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2079/1/AA2012-32.pdf.

[3] Criminal Appeal No. 2161-2162 of 2024, Justice Rights for Children Alliance and Anr vs. S Harish and Ors, September 23, 2024, Supreme Court, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/8562/8562_2024_1_1501_56073_Judgement_23-Sep-2024.pdf.

[4] The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf.

[5] Writ Petition (L) No. 9792 of 2023, Kunal Kamra vs. Union of India, Bombay High Court, September 20, 2024, https://bombayhighcourt.nic.in/generatenewauth.php?bhcpar=cGF0aD0uL3dyaXRlcmVhZGRhdGEvZGF0YS9qdWRnZW1lbnRzLzIwMjQvJmZuYW1lPUYyNTYwMDAwOTc5MjIwMjNfNDAucGRmJnNtZmxhZz1OJnJqdWRkYXRlPSZ1cGxvYWRkdD0yMC8wOS8yMDI0JnNwYXNzcGhyYXNlPTI1MDkyNDE1MTYzMiZuY2l0YXRpb249MjAyNDpCSEMtT1M6MTQzNzEtREImc21jaXRhdGlvbj0mZGlnY2VydGZsZz1ZJmludGVyZmFjZT1P.

[6] CG-DL-E-06042023-244980, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, Ministry of Electronics and Information Technology, April 6, 2023, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/244980.pdf.

[7] Information Technology Act, 2000, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf.

[8] "Constitution of 23rd Law Commission of India for a term of three years from 01st September, 2024 to 31st August, 2027", Ministry of Law and Justice, September 2, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/256849.pdf.

[9] "Cabinet approves health coverage to all senior citizens of the age 70 years under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)", Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053883.

[10] "About Ayushman Bharat", Ministry of Health and Family Welfare, accessed on December 15, 2023, https://nha.gov.in/PM-JAY#.
[11] "Ayushman Bharat –Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY) to be launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in Ranchi, Jharkhand on September 23, 2018", Press Information Bureau, September 22, 2018, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1546948.
[12] G.S.R. 572(E), Department of Health and Family Welfare, The Gazette of India, September 13, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/257180.pdf.
[13] G.S.R 400 (E), Department of Health and Family Welfare, May 31, 2023, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/246178.pdf
[14] F. No. 31026/23/2022, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, September 6, 2024, https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/UCMPMD_0.pdf.
[15] "NPS Vatsalya: A Groundbreaking Pension Scheme for Minors", Press Information Bureau, Ministry of Finance, September 20, 2024, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/sep/doc2024920398401.pdf.
[16] SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, September 30, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/sep-2024/sebi-board-meeting_87154.html.
[17] Cabinet approves PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme with an outlay of Rs.10,900 crore over a period of two years, Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053959
[18] Operational Guidelines for Electric Mobility Promotion Scheme - 2024, Ministry of Heavy Industries, https://heavyindustries.gov.in/sites/default/files/2024-03/operational_guidelines_of_emps_2024.pdf
[19] "Cabinet approves Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan", Press Release, Cabinet, Press Information Bureau, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055995.
[20] Cabinet approves implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29, Cabinet, Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053894.
[21] "Cabinet approves Nutrient Based Subsidy rates for Rabi Season, 2024 on Phosphatic and Potassic fertilisers", Press Information Bureau, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055984.
[22] "Cabinet approves continuation of schemes of Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan", Press Information Bureau, Cabinet, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055990.
[23] "Cabinet approves Mission Mausam to create more weather-ready and climate-smart Bharat with an outlay of Rs 2,000 crore over two years", Press Information Bureau, Ministry of Earth Sciences, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053896.
[24] Cabinet approves 'Bio-RIDE' scheme to support cutting edge research and development in Biotechnology, Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2056004

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।